

कार्यालय कमाण्डेन्ट चतुर्थ बटालियन आरएसी चैनपुरा, जयपुर।

कमांक :-आर.ए.सी.-4 /क्यू/ नाकारा/ 2018 /1546-1644 दिनांक :- 18.09.2018

नीलामी -सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चतुर्थ बटालियन आरएसी, रामगढ़ रोड़ चैनपुरा, जयपुर के परिसर में दिनांक 05.10.2018 को प्रातः 11.00 बजे निम्नलिखित अनुपयोगी/मियादी/गैर मियादी लोहा निर्मित कारतूसों के खाली खोखे, स्टील केरीयर, एस.टू.ए.बॉक्स व लोहा स्केप एवं बैण्ड इक्विपमेंट्स आदि की किताबी कीमत 584354.48/- रुपये की नीलामी की जावेगी। सामान जहाँ जैसा है लेना होगा।

| | | |
|----------------|---|------------------|
| 1 | मियादी सामान टेन्टेज, तगारी, बाल्टियाँ, चारपाई इत्यादि की किताबी कीमत | 337771.65 |
| 2 | गैर मियादी सामान (बैण्ड का सामान)की किताबी कीमत | 243157.74 |
| 3 | लोहा निर्मित कारतूसों के खाली खोखे, स्टील केरीयर, एच.टू.ए. बॉक्स लोहा स्केप रुपये | 3425.09 |
| कुल योग | | 584354.48 |

नीलामी की शर्तें :-

1. बोली लगाने वाला हर व्यक्ति को बोली लगाने से पूर्व 11690.00 रुपये अग्रिम धन राशि जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी, यह राशि नीलामी के बाद जिसके नाम से बोली छूटेगी के अलावा राशि वापस लोटा दी जावेगी जिसकी अग्रिम धन राशि जमा होगी वही व्यक्ति बोली लगाने का हकदार होगा।
2. बोली छूटने के तीन घण्टे के अन्दर पूरी राशि जमा करानी होगी तभी सामान उठाने दिया जावेगा।
3. नीलामी करने वाली कमेटी को नीलामी बिना कारण बताये बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का पूरा अधिकार होगा।
4. सफल बोली दाता या उसके प्रतिनिधि द्वारा सामान को उसी दिन उठाने की जिम्मेदारी होगी, यदि समय पर सामान नहीं उठाया गया एवं राज्य सरकार को किसी तरह का नुकसान हुआ तो सफल बोलीदाता से वसूल किया जावेगा।
5. बिक्रीकर राज्य सरकार के नियमानुसार सफल बोलीदाता को चुकाना पड़ेगा।
6. बटालियन का कोई भी व्यक्ति नीलामी में बोली नहीं लगा सकेगा।
7. सामान उठाने का व्यय सफल बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि को वहन करना पड़ेगा।

(डॉ.रवि)IPS
कमाण्डेन्ट

चतुर्थ बटालियन आरएसी
चैनपुरा, जयपुर